	कार्यवाही विवरण	अनुपलाना में क्रमांक व दिनांक
31.08.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी उप0। तहसीलदार उदयपुरवाटी से तथ्यात्मक जांच रिर्पोट प्राप्त। बहस प्रा0 प0 मूल पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने राजस्व रिकार्ड में शुद्धि/दुरूस्ती करवाने का निवेदन किया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात यथा मृत्यु प्रमाण पत्र सुलतान सिंह, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2043 ग्राम नाहरवाड़ी, तथ्यात्मक जांच रिर्पोट दिनांक 31.08.2021, शपथ पत्र शिवराज सिंह, महेन्द्र सिंह का अवलोकन करने पर पाते है कि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम सुलतान सिंह पुत्र उगम सिंह है उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है। **आदेश** **प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम नाहरवाड़ी पटवार हल्का मण्डावरा तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 157, 164, 165, 178 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण के पिता का नाम सुलतान सिंह पुत्र डाल सिंह के बजाय सुलतान सिंह पुत्र उगम सिंह दुरूस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।** 31.8.21 **(राम सिंह राजावत)** **उपखण्ड अधिकारी,** **उदयपुरवाटी** उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूँ) **निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को मेरे द्वारा न्यायालय में सुनाया गया।** 31.8.21 **(राम सिंह राजावत)** **उपखण्ड अधिकारी** **उदयपुरवाटी** उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुंझुनूँ)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:17:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner